

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

(राजस्व न्यायालय)

नामान्तरण अपील वाद सं 03/07-08

05/18-19

आवेदक

सेन केल्वीन कॉलेट एवं अन्य
पिता— स्व ० ४० ४० कॉलेट,
निवासी—ग्रेस मेरी कॉलेट,
रोड नं ०१, चर्च रोड, बयांग बिल,
सुंदर नगर, पू ० सिंहभूम,
जमशेदपुर।

बनाम

विपक्षी

बासुदेव दत्ता
पिता— स्व ० बिनय कुमार दत्ता
निवासी— चाँदमारी,
वार्ड नं ०५, चक्रधरपुर।
जिला— पू ० सिंहभूम।

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर			अन्युक्ति
२८.१.१९	<p>अपिलार्थी सेन केल्वीन कॉलेट एवं अन्य, पिता—स्व ० ४० ४० कॉलेट, निवासी—ग्रेस मेरी कॉलेट, रोड नं ०१, चर्च रोड, बयांग बिल, सुंदर नगर, पू ० सिंहभूम, जमशेदपुर। एवं विपक्षी बासुदेव दत्ता, पिता— स्व ० बिनय कुमार दत्ता, निवासी— चाँदमारी, वार्ड नं ०५, चक्रधरपुर, पू ० सिंहभूम के द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया गया है कि नामान्तरण अपील वाद संख्या—०३/०७-०८ में कुल २२(बाईस) व्यक्तियों को विपक्षी बनाया गया है। इस वाद में कुल २२(बाईस) विपक्षी होने के कारण सभी विपक्षियों के द्वारा वाद की सुनवाई की निर्धारित तिथियों को अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखे जाने के कारण उक्त वाद के लिए निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। आवेदक एवं विपक्षी के आवेदन पत्र के आलोक में आज दिनांक २९.१.१९ को नामान्तरण अपील वाद संख्या—०३/०७-०८ से अलग करते हुए नामान्तरण अपील वाद संख्या—०३/०७-०८ प्रारंभ की जाती है।</p> <p>05/18-19</p>	भूमि का विवरणी		

मौजा	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
कोलचकड़ा, चक्रधरपुर, वार्ड नं ०५	114(A)	259	0.38 ए०
		260	0.37 ए०
		कुल	0.75 ए०

उक्त वाद की सुनवाई की अगली तिथि २९.१.१९ को निर्धारित की जाती है। उक्त निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक २९.१.१९ को उपस्थापित करें।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

20 दिसंबर 2023

20.३.१९ अस्तित्वात्मक नियमित विवरण | नियमित विवरण | नियमित विवरण

दिनांक १०-१२-२०२३ | विवरण कार्यालय के द्वारा

अधिकारकों के द्वारा आदेश द्वारा दिया गया है। प्रश्नात्मक और Title interest

~~प्रश्नात्मक~~

पर भारतीय उच्च न्यायालय आरक्षण द्वारा
में First Appeal No 30 of 2009 द्वारा pending

है। इस अधिकारकों के द्वारा है।

प्रश्नात्मक भारतीय उच्च न्यायालय के नियमित
नियमित नहीं है। आता है। नियमित नहीं है।

नियमित अपेल ~~प्रश्नात्मक~~ 3/7-8 (5/18-19)

सुनिश्चित रूप से आदेश। विवरण विवरण
है। इस अधिकारकों का नहीं नहीं है।

उक्त के कालांतर है।

भारतीय उच्च न्यायालय के नियमित विवरण
के द्वारा है। विवरण द्वारा है। विवरण
है। विवरण है। विवरण के भावी है।

मार्च
20.३.१९